न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री/टीए/7503/2006/पाली

1– भंवरसिंह पुत्र दूधसिंह
2– खीमीदेवी पत्नी दूधसिंह, जाति रावत राजपूत निवासी मण्डावर तहसील भीम जिला राजसमंद।

------ अपीलांट

बनाम

1– दिलीपसिंह पुत्र श्री मोडसिंह, जाति रावत राजपूत निवासी गूडागांगा प्रथम तहसील मारवाड जंक्शन।
2– पन्नेसिंह पुत्र उदयसिंह
3– उदी बेवा उदयसिंह, जाति रावत राजपूत निवासीयान बोगला तहसील मारवाड जंक्शन।
4– तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन।

------ रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री मुकेश जैन, अभिभाषक अपीलांट
(2) श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2

निर्णय

दिनांक :– 27.02.2025

अपीलांट ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली की अपील सं0 33/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट दूधसिंह की ओर से विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92–ए, 188 एवं 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सरहद बोगला तहसील मारवाड जंक्शन में अन्य खसरों के अलावा खसरा नं0 231, 232 व 233 जो बेरा समदड़ियों से सिंचित होते हैं। बेरा मय जाव दिवंगत वरदू बेवा अमरसिंह रावत राजपूत निवासी बोगला के खातेदारी की कब्जे काश्त शुदा आराजी थी। मु0 वरदू का देहान्त हो गया। मु0 वरदू ने वसीयतनामा दिनांक 05-01-1990 के जरिये उसने अपनी समस्त चल-अचल संपति बेरा मय जाव मकान इत्यादि वादी को जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा से वसीयत कर दी। वरदू के देहान्त उपरान्त समस्त चल-अचल संपति के अलावा खसरा नं0 231, 232 व 233 का वादी खातेदार काबिज काश्तकार है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को उक्त खसरा नंबरान का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरान्त वाद की सुनवाई के दौरान दिनांक 15-04-2000 को प्रतिवादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर अपने निर्णय दिनांक 20-02-2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध वादीगण/अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29-09-2006 से अपीलांट की अपील सव्यय खारिज करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 29-09-2006 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की अपील पर बहस सुनी गयी।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अमरसिंह की फौतगी के नामान्तरकरण की मिलीभगत एवं

जालसाजी करके उदयसिंह के नाम पटवारी हल्का द्वारा भरा जाकर स्वीकृत कराया गया। उदयसिंह के फौत होने पर उदी व पन्नेसिंह उसके वारिस होने के नाते उनका नामान्तरकरण भरा गया जबकि उदयसिंह न तो वारिस था, न सगा भाई और न ही उसके परिवार का सदस्य था। गलत रूप से अपने आपको वारिस बताकर बेवा की खातेदारी की आराजी व कब्जे काश्त की आराजी पर गलत रूप से नामान्तरकरण भरवाकर अपने नाम इन्द्राज करवा लिया जबकि कब्जे व हकूक के बिना भरा गया नामान्तरकरण अवैध व शून्यकृत था तथा उसके बाद किये गये बेचाननामें से रेस्पो0 सं0 1 को भी कोई अधिकार हासिल नहीं होते हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष दावे, जवाबदावे के आधार पर पाँच तनकियात कायम की गई थी जिस पर बिना कोई विवेचन किये तहत न्यायालय द्वारा अपना आदेश पारित कर दिया जिसकी अपील होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा भी बिना कोई साक्ष्य पढ़े अपील निस्तारित कर दी जबकि उनके समक्ष दस्तावेजी साक्ष्य के साथ–साथ मौखिक साक्ष्य भी मौजूद थी। पंजीकृत वसीयतनामें को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। यदि अपीलीय न्यायालय उस पर कांटा–फासी को अथवा ओवरराईटिंग को संदेहास्पद मानती थी तो उसे डीडराईटर अथवा लेखनकर्ता की साक्ष्य हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर देना चाहिए था। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि नामान्तरकरण को चुनौती नहीं दी गई। तहत न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 को इग्नोर कर निर्णय पारित कर दिया जिसमें बेवा की आराजी पर किसी प्रकार से बिना हस्तान्तरण के खातेदारी प्राप्त नहीं हो सकती, गलत रूप से नामान्तरकरण करवा कर खातेदारी के इन्द्राज प्राप्त कर लिया। इसलिए धारा 46 की रोशनी में अपीलांट का वाद डिक्री किये जाने योग्य था। उदी व पन्नेसिंह द्वारा रेस्पो0 सं0 1 को किया गया बेचान बिना कब्जे काश्त के किया गया बेचान है जिसके आधार पर कोई भी अधिकार रेस्पो0 सं0 1 को प्राप्त नहीं हो सकते हैं क्योंकि विधि के तहत शून्य प्रभावी दस्तावेज से कोई भी अधिकार व हकूक रेस्पो0 को प्राप्त नहीं हो सकते है। इसलिए उक्त तथ्यों को भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जो कि निरस्तनीय है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–09–2006 एवं उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय व डिक्री दिनांक 20–02–2003 को निरस्त किया जाकर वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

5– इसके विरूद्ध विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस में तर्क दिये कि वादी/अपीलांट अपने 1/3 हिस्से के स्थान पर सम्पूर्ण रकबे पर खातेदारी प्राप्त करने का वाद सिद्ध करने में असफल रहा है। तथाकथित वसीयत सन् 1980 सम्वत् 2047 में लिखी गयी थी जबकि इससे पहले सन् 1981 में ही इस भूमि का इन्तकाल उदयसिंह के नाम हो गया था। उदयसिंह इस भूमि का खातेदार हो गया एवं उक्त भूमि पर कब्जा काश्त भी उदयसिंह का ही था। सन् 1989 में उदयसिंह के पुत्र व पत्नी के नाम वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण हो गया। सन् 2002 में प्रतिवादी/रेस्पो0 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र वादग्रस्त आराजी खरीद ली थी तथा इसके बाद विवादित आराजी पर कब्जा काश्त प्रतिवादी रेस्पो0 दिलीपसिंह का हो गया। वसीयतकर्ता की मृत्यु सन् 1995 में हुई। वसीयत से पहले ही वसीयतकर्ता से भिन्न व्यक्ति वसीयत में सम्मिलित भूमि का खातेदार हो गया तथा वसीयतकर्ता की मृत्यु से पहले ही रेस्पो0 दिलीपसिंह उक्त भूमि को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर चुका था। इसलिए इस तथाकथित वसीयतनामें का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वादग्रस्त आराजी पर कभी भी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा अपीलांट का कब्जा काश्त किसी दस्तावेज या साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है। वादी के जिम्मे जो तनकियात रखी गयी उनको भी प्रमाणित करने में वादी/अपीलांट असफल रहा है। विवादित आराजी की वसीयत करने का अधिकार श्रीमती वरधू को नहीं था। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में हुई नामान्तरकरण की कोई अपील अपीलांट के द्वारा नहीं की गयी है। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध वसीयत संदिग्ध होने तथा 1/3 हिस्से के स्थान पर संपूर्ण रकबे पर खातेदारी प्राप्त करने का वादी/अपीलांट अधिकारी नहीं होने से वाद वादी को सही खारिज किया है जिसकी अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय में होने पर उन्होंने भी

अपीलांट की अपील सव्यय खारिज करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय हैं जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावें।

उन्होंने अपने कथन के समर्थन में 2006 सी0सी0सी0 पेज 665 के पैरा नं0 10, 1989 आर0आर0डी0 पेज 168, 2001 डब्ल्यू0एल0सी0 पेज 621 के न्याय दृष्टान्त पेश किये गये।

6– हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी व मनन किया एवं आलौच्य आदेशों का अध्ययन एवं परिशीलन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादीगण/अपीलांट दूधसिंह ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 92–ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर आराजी खसरा नं0 231, 232 व 233 वसीयतनामा दिनांक 05–01–1990 के आधार पर अपने हक में घोषणा करने की इस्तदुआ चाही है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत गवाहों में से किसी भी गवाह ने इस वसीयतनामा में जोड़े गये खसरा नं0 231, 232 व 233 का कोई खुलासा नहीं किया है कि उक्त खसरा नं0 वसीयत में कब व किसने जोड़े हैं। पत्रावली पर उपलब्ध वसीयत ई.एक्स.ए–1 संदिग्ध होने तथा 1/3 हिस्से के स्थान पर संपूर्ण रकबे पर वादी खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने व वाद को सिद्ध करने में असफल रहने के कारण वाद वादी खारिज किया गया है जो उचित एवं न्यायसंगत है। उक्त आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध वादीगण/अपीलांट ने विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 29–09–2006 से वादी/अपीलांट स्वच्छ हाथों से वाद लेकर नहीं आया एवं वसीयत भी संदिग्ध एवं कूटरचित मानी जाकर अपीलांट की अपील 2000/– रू. पर सव्यय खारिज करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः इस द्वितीय अपील में कोई बल नहीं होने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णयों में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने के आधार पर अपीलांट की अपील गुणावगुण के आधार पर सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

8- विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होते हैं।

9- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के निर्णय व डिक्री दिनांक 29-09-2006 व विद्वान उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय व डिक्री दिनांक 20-02-2003 यथावत् रखे जाते हैं।

10- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(आर0डी0 मीणा)
सदस्य